

फर्द अहकाम

(नियम 20)

सत्र अदालत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अधिकारी, निवाई (टोंक-राज.)
गान्ध

बनाम नाराणी वारी किस्म मुकदमा

नं० 19/2020 सन्

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 17/6/20 | प्राथमिकी श्री राजपाल शर्मा एडवोकेट द्वारा पेश हुई। अपलोन्ग फिला गान्ध। वारी फर्द रजिस्ट्रार हो। अपलोन्ग की तलवी फिलि होकर होकर प्राथमिकी दिनांक 17/7/20 को पेश हो। | 19/2020 |
| 07/07/20 | वकीलवारी व वारी उपस्थित। वारी द्वारा प्रा. फी आवक वाक विज्ञो करने हेतु प्रस्तुत फिला। प्राथमिकी के आगामी दिनांक 17/7/20 निजत हो वारी ने आज ही वाक विज्ञो करने हेतु निवेदन फिला। अतः प्राथमिकी आज पेश हुई। प्राथमिकी व प्रार्थना पत्र कर अपलोन्ग फिला गान्ध। वारी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फिला जाता है। वारी का वाक विज्ञो फिला जाकर नोट उठे पर रजिस्ट्रार फिला जाता है प्राथमिकी फिल होकर नम्बर से कर होकर गारिबल प्रस्तुत हो। Rulky उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक) | गान्ध 19 |